देश में खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर पाबन्दी

4713. **श्री अरविन्द एम० पटेल**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने राज्य से बाहर वस्तुओं के लाने ले जाने पर पाबन्दी लगा रखी है तथा एसी वस्तुओं के नाम क्या है ;

(ख) उनमें मे ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं जिनको केन्द्रीय सरकार ने ऐसी पावन्दी लगाने की अनुमति दी है ; और

(ग) क्या देश में अकाल की स्थिति का मुकबला करने के लिये केन्द्रीय सरकार का विचार ऐसी पावन्दी को खत्म करने के लिये राज्यों को अनुरोध जारी करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सलग्न है ।

(ग) फिलहाल, खाद्योन्नो मे सचलन पर लगे प्रतिबन्धों को उठाने के लिये कोई प्रस्ताव नही है । मोटे अनाजो के बारे में कुछेक राज्य सरकारो से अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार के खाते मे इन मोटे अनाजो का सीमित मात्रा मे निर्यात करने की अनुमति दी जाये ।

विवरण

जिन खाद्यान्नों के सचलन पर अब प्रतिबन्ध लगे हुये है उनमें चावल, धान, गेहूं और प्रमुख मोटे अनाज (बाजरा, ज्वार, मक्का और रागी) शामिल है कुछ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अधीन प्रतिबन्ध लगाये गये हैं जबकि शेष राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में सम्बन्धित राज्य सरकारों में भारत सरकार से अनुमति लेकर स्वयं आदेश जारी किये है ब्यौरे इस प्रकार है :—

चावल/धान

भारत सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अधीन जिन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों/क्षेत्रों में धान/चावल के निर्यात करने पर प्रतिबन्ध है, का नाम ।

(1) उत्तरी चावल क्षेत्र (जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर और पंजाब तथा केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ और दिल्ली आते है), (2) आन्ध्र-प्रदेश और पाडिचेरी के सघ शासित प्रदेश स्थित यनम का क्षेत्र, (3) बिहार (4) केरल और पाडिचेरी के सघ शामित प्रदेश में स्थित महे का क्षेत्र (5) मध्य देश (6) मणिपुर (7) मैसूर (8) उडीसा (9) राजस्थान, (10) तमिलनाडु और पाडिचेरी के केन्द्र शासित प्रदेश के पाडिचेरी और कारीकल के क्षेत्र (11) त्रिपुरा (12) उत्तर प्रदेश और (13) पश्चिमी बगाल ।

सम्बन्धित राज्य सरकारों/प्रशासकों द्वारा जारी किये गये आदेशों के अधीन जिन राज्यों/केन्द्र शासित देशो से धान चावल के निर्यात करने पर प्रतिबन्ध है, का नाम ।

(1) असम (2) गुजरात (3) महाराष्ट्र (4) मेघालय (5) दादर तथा नागर हवेली और (6) गोआ, दमन तथा दीव ।

गेहूं

(1) बिहार (2) गुजरात (3) मध्य प्रदेश (4) महाराष्ट्र और (5) उत्तर प्रदेश

(इन राज्यों की सम्बन्धित सरकारों को स्वयं गेहूं का निर्यात/संचलन विनियमित करने की अनुमति दी गई है । बिहार और मध्य प्रदेश में केवल गेहूं का अन्तर जिला संचलन विनियमित किया जाता है)

सोर्ठ धमाका

बाजरा : (1) आन्ध्र प्रदेश (2) गुजरात (3) हरियाणा (4) मध्य प्रदेश (5) महाराष्ट्र (6) राजस्थान (7) तमिलनाडु (8) उत्तर प्रदेश (9) चंडीगढ (10) गोग्रा, दमन और दीव (11) पाडिचेरी ।

ज्वार . (1) आन्ध्र प्रदेश (2) गुजरात (3) हरियाणा (4) मध्य प्रदेश (5) महाराष्ट्र (6) मैसूर (7) राजस्थान (8) तमिलनाडु (9) उत्तर प्रदेश (10) गोग्रा, दमन और दीव (11) पाडिचेरी ।

मक्का : (1) आध्र प्रदेश (2) बिहार (3) गुजरात (4) हरियाणा (5) हिमाचल प्रदेश (6) मध्य प्रदेश (7) मैसूर (8) पजाब (9) राजस्थान (10) तमिलनाडु (11) उत्तर प्रदेश (12) चडीगढ और (13) पाडिचेरी ।

रागी . (1) आन्ध्र प्रदेश (2) गुजरात (3) महाराष्ट्र (4) मैसूर (5) उडीसा (6) तमिलनाडु (7) दादर तथा नागर हवेली और (8) पाडिचेरी ।

(तमिलनाडु और पाडिचेरी मे जो आदेश लागू थे वे भारत सरकार द्वारा जारी किये हुये हैं । शेष राज्यो/केन्द्र शासित प्रदेशो मे सम्बन्धित राज्य सरकारो/प्रशासको ने स्वय आदेश जारी किये है) ।

Threat of 17 Officers of Photo Litho Press

4714 SHRI HUKAM CHAND KACHWAI Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state·

(a) whether Government's attention has been drawan to the threat of 17 officers of Photo Litho Press as appeared in the "Statesman" dated the 5th October, 1972 and "Indian Express" dated 8th October, 1972 and subsequently to the statement of the workmen of this Press, and

(b) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI OM MEHTA) (a) Yes Sir

(b) The workers on Photo-litho Wing are eligible for promotion in their respective line upto non-supervisory posts e g Design and Lay Out Artist, Helio Operator, Retoucher Artists and Camera Operators These persons are not eligible for Supervisory post i e. Technical Officers Question of amending Rules to provide promotional avenues is receiving attention

Setting up of Committee to Review the Delhi Rent Control Act, 1968

4715 SHRI SASHI BHUSHAN Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state

(a) whether Government had set up a Committee to review the Delhi Rent Control Act, 1958,

(b) when this Committee was set up, who were the members of the Committee, the recommendations made by the Committee and when the recommendations were submitted to Government,

(c) whether Government had sent those recommendations to the Consultative Committee of his Ministry and if so, when these recommendations were sent to the Committee; and

(d) whether the opinions of the Committee on those recommendations has since been received and if so, the gist thereof and if not, the steps taken to get their opinions on those